90000/-रूपये की ऑनलाईन धोखाधड़ी के मामले प्रकाश में आए एक अभियुक्त के विरूद्ध की गयी कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़, श्रीमती रेखा यादव के निर्देशन में एवं पुलिस उपाधीक्षक पिथौरागढ़, श्री परवेज अली के पर्यवेक्षण में पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। जिस क्रम में पिथौरागढ़ निवासी एक महिला ने एनसीआरपी पोर्टल में शिकायत दर्ज कराई थी कि किसी व्यक्ति ने दुकान का सामान खरीदने के नाम पर उनसे 90000/-रूपये की धोखाधड़ी की है। तहरीर के आधार पर थाना गंगोलीहाट में अज्ञात के विरुद्ध धारा- 420 भा.द.वि. के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक महोदया के आदेशानुसार, उ0नि0 हरीश सिंह मय पुलिस टीम द्वारा साईबर सैल की मदद से उक्त मामले में प्रकाश में आए एक अभियुक्त पुष्पेंद्र कुमार पुत्र लेखराज सिंह निवासी खाजीपुर थाना आदमपुर जिला अमरोहा उ0प्र0 के विरूद्ध कड़ी कानूनी कार्यवाही की गई। विवेचना प्रचलित है।

पुलिस टीम- उ0नि0 हरीश सिंह चौकी प्रभारी पनार, अपर उ0नि0 नरेंद्र पाठक, है0का0 पंचानन मण्डल व उ0नि0 मनोज पाण्डेय मय साईबर सैल टीम।